

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 17/21 धारा 363 / 366 / 120 (B) भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्त नाम पता देवचन्द उर्फ चन्दू पुत्र बृजलाल निवासी विसहड़ा थाना जिगिना जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.01.2021 को वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा दिनांक 16.01.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 17.01.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, का0 सुरेश मौर्या ।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची

शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05-05 ली0 (कुल 10 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- रविन्द्र पुत्र सन्तराम निवासी महादेवा थाना मेंहदावल 2- गोपई निषाद उर्फ इन्द्रजीत पुत्र तीरथ निवासी भैसड़ थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 16/21 व 17/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री आनन्द प्रकाश, उ0नि0 श्री रणविजय सिंह मय हमराह ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता श्रीमती गेंदा देवी पत्नी पूजन निवासिनी भेडौरा पिकौरा टोला पलनिया थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 14/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - हे0का0 राजेश चौरसिया, का0 विनय कुमार, स्थानीय महिला सरस्वती देवी ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत घोरही से इवेन्ट संख्या 08636 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल 05 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना के घटित होने से बचा लिया गया , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 विनोद ओझा, आ0 अभय कुमार, हो0चा0 संजीव कुमार ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 101 वाहनो से 92000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल
किया गया**

आज दिनांक 17.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 101 वाहनो से 92000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।